

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2021 — माघ 2, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-1/2020/एक-7. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-01-2020 द्वारा जिला राजनांदगांव में दिनांक 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले में पुलिस अधीक्षक सहित 25 पुलिसकर्मी शहीद होने की घटना की जांच हेतु माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 06 माह के भीतर जांच कर, शासन को जांच प्रतिवेदन सौंपना था. परंतु निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न हो पाने के समय-समय पर शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की जाती रही है. विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2020 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 03 माह की वृद्धि की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 14-01-2021 को समाप्त हो गई है.

2. चूंकि वर्तमान में कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के कारण जांच आयोग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 15-01-2021 से दिनांक 14-04-2021 तक 03 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.